उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 8565/21 दिनांक 21.10.2021

सेवा में,

निदेशक,
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, आरोग्य धाम, बालापार रोड,
सोनबरसा, गोरखपुर।

विषयः **गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति द्वारा प्रस्तावित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर में डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की सम्बद्धता/मान्यता के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-836/71-4-2021-एन-8/2016 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके प्रशिक्षण केन्द्र में **डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन** प्रशिक्षण में 30 छात्र प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्धता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें –

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश निर्धारित भर्ती क्षमता के 65 प्रतिशत (यथा 19 छात्र) छात्र उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से तथा 35 प्रतिशत (यथा 11 छात्र) छात्र प्रबन्धकीय कोटे से भरे जायेंगे।
4. यदि किसी कारण से उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन न हो पाये और नियमित बैच न भेजा जा सके तो संस्थान द्वारा केवल प्रबन्धकीय कोटे की निर्धारित भर्ती क्षमता की 35 प्रतिशत सीट अर्थात् केवल 11 सीट प्रति शैक्षिक सत्र की प्रवेशित करें।
5. प्रशिक्षण हेतु फैकल्टी द्वारा भेजे गये छात्रों से अधिकतम रु. 24,000/- (रुपये चौबीस हजार प्रतिवर्ष) या रू0 2,000/- प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क लिया जा सकता है।

___2